II-157
C.J.

Witness no. ......09..........for ....Prosecution..........................Deposition taken

the...........day of ......11/12/2018............Witness's apparent age .....28 years.........

States on affirmation .... My name is Dr. Shubha Ekka.............

Son of ...Late Victor EKka. occupation ...... Doctor ....

addres - Science College Campus, Raipur ....

1– मैं विगत डेढ़ वर्ष से भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रायपुर में पीजी सेकेंड इयन सर्जरी विभाग में अध्ययनरत हूं। दिनांक 13/04/2018 को दोपहर 02:30 बजे आहत शारदा वर्मा, पति प्रीतलाल वर्मा, उम्र 34 वर्ष को 86 प्रतिशत जली हुई अवस्था में इलाज हेतु लाया गया था, जिसे बर्न युनिट में तत्काल इलाज हेतु भर्ती किया गया। मैं डॉ. डी शाह के देखरेख में सहयोगी के रूप में बर्न युनिट में उपस्थित थी। उसी दिन रात्रि 10:40 बजे आहत के परिजन हमारे बिना अनुमति के दूसरे अस्पताल में इलाज हेतु आहत को ले गये।

2– उपरोक्त इलाज से संबंधित बैडहैड टिकिट प्रकरण में संलग्न है, जो कुल 11 पृष्ठों में है, जो मूल हैड टिकिट की प्रति है, जो **प्र0पी0 16** है, ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3– आहत को जब बर्न युनिट में लाया गया, उस समय आहत के साथ आरोपी प्रीतलाल उपस्थित था, जिसने आहत शारदा वर्मा का पति होना बताया, इसलिये संपूर्ण बैडहैड टिकिट में आहत के पति का नाम प्रीतलाल वर्मा अंकित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री देवेश दीक्षित वास्ते अभियुक्त प्रीतलाल बंजारे –

4– यह कहना सही है कि प्रीतलाल वर्मा एवं प्रीतलाल बंजारे दो अलग–अलग व्यक्ति हो सकते है। यह कहना सही है कि प्र0पी0 16 के संपूर्ण बैड हैड टिकिट में प्रीतलाल बंजारे आहता या उसके परिवार के साथ उपस्थित था, इस बात का इंद्राज मैंने प्र0पी0 16 में नहीं

II-157
C.J.

Witness no. ......09..........for ....Prosecution...........................Deposition taken

किया। यह कहना सही है कि प्र0पी0 16 की बैड हैड टिकिट में इस बात का उल्लेख है कि आहत के साथ उसके सन–इन–ला इंद्र कुमार उपस्थित थे।

5– यह कहना सही है कि आहत के साथ हुई घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी सरस्वती बाई ने दी। यह कहना सही है कि आहत शारदा का परीक्षण जब किया गया था, तो यह पाया गया था कि आग के धुएं के कारण उसकी श्वास की नली जल गयी थी और उसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। यह कहना सही है कि श्वास नली जलने के कारण आहत को बोलने में बहुत तकलीफ थी। यह कहना गलत है कि मैंने आहत का इलाज नहीं किया था। यह कहना गलत है कि प्रीतलाल बंजारे आहत या उसके परिवार के साथ उपस्थित था।

नोटः– आज दिनांक 11/12/2018 को **प्र0पी0 16** एवं पूर्व से प्र0डी0 01 अंकित किया गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सुनील कुमार नंदे)
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....